<u>कार्यालय मुख्य कार्मिक अधिकारी</u>
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) 263145

पत्रांकः पीएमएस(ए)/एआरआर/8276. दिनांकः जून 11 , 2024

<u>कार्यालय आदेश</u>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के पत्र सं0 405 दिनांक 06 जून, 2024 नई दिल्ली के द्वारा कैरियर एंडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत प्रोन्नति विषयक पात्रता के संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत् है :–

| वर्तमान व्यवस्था | संशोधित व्यवस्था<br>(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के पत्र सं0 405 दिनांक 06 जून, 2024 के अनुसार) |
|---|---|
| 1. सातवें वेतन आयोग के अनुरूप प्रोन्नति का लाभ देने हेतु सी0ए0एस0 की गाईड लाईन नई यू0जी0सी0 अधिसूचना 18 जुलाई, 2018 के आधार पर माननीय प्रबन्ध परिषद् की 244वीं बैठक दिनांक 04.12.2021 में पारित संकल्प के अनुसार पैरा 6.3 के अंतर्गत संकाय सदस्यों के विद्यमान विनियमों के अंतर्गत प्रोन्नति का लाभ छठें वेतन आयोग के अनुसार अधिसूचना की तिथि से 03 वर्ष का समय दिया गया है जोकि दिनांक 18 जुलाई, 2018 से 17 जुलाई, 2021 तक था।<br>2. छठें वेतन आयोग की संस्तुति पर माननीय प्रबंध परिषद् द्वारा पारित निर्णय के आधार पर दिनांक 17 जुलाई, 2021 तक अर्ह शिक्षकों का साक्षात्कार छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत साक्षात्कार कराया गया। | 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) (तीसरा संशोधन), विनियम 2023 में खंड 6.3 के अधीन विनिर्दिष्ट परंतुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–<br>"इन विनियमों के तहत उल्लिखित कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नतियों के लिए मानदंड इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। तथापि, उन संकाय सदस्यों को कठिनाई से बचाने के लिए, जिन्होंने पहले ही अर्हता प्राप्त कर ली है या विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय, 2010 के अनुरूप यूजीसी विनियमों के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक अर्हता प्राप्त करने की संभावना हैं, उन्हें 2010 या 2018 विनियमों के तहत पदोन्नति के लिए विचार में रखे जाने का विकल्प दिया जा सकता है। पात्रता की तिथि पदोन्नति की तिथि के रूप में धारित की जाएगी। आवेदन जमा करने की तिथि पर, उम्मीदवार को पदोन्नति के लिए आवश्यक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।"<br>परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 के खंड 6.3 को हटाया गया समझा जाएगा। |

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति दिनांक 11.06.2024 के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

11.6.24
अपर मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक शोध/निदेशक प्रसार शिक्षा/विश्वविद्यालय पुस्तकालय
2. नियंत्रक
3. कुलसचिव
4. एसी0एसटी0 सेल
5. निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण
6. समस्त पटल सहायक कार्मिक प्रबन्ध अनुभाग– अ
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।

(8) वेबसाईट